Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

जी.आर. वाद सं.– 1447/2019 सी.आई.एस.क्र.– 1447/2019

बिहार राज्य बनाम प्रमिला देवी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
29.04.2026	सभी 06 अभियुक्तगण की हाजरी है। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी एवं अभियुक्तगण अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुये। यह अभिलेख निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **प्रमिला देवी, कुशेश्वर महतो, प्रियंका देवी, रंजन देवी उर्फ रंजु देवी, रानी कुमारी एवं रतन कुमार** को धारा **143, 341, 323, 506** भा0द0सं0 के आरोप में सिद्धदोष न पाते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत एवं बंधपत्र को भार मुक्त कर उन्हें एवं उनके प्रतिभूओं को दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। हस्ताक्षर ह0/– अ0मु0न्या0दं0 बनमनखी, पूर्णियाँ	